

प्रेस नोट

09.02.2021

04 अदद अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस के साथ 04 शातिर गिरफ्तार, एक संदिग्ध दो पहिया वाहन बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा भीमपुरा तिराहा नहर पुलिया के पास से अरविंद यादव पुत्र हरिकेश यादव निवासी पीपरसाथ थाना हलधरपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा 303 बोर मय एक जिंदा कारतूस तथा देवेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम राजभर निवासी बिलोवा थाना हलधरपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 38/21 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 39/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना घोसी पुलिस द्वारा असना नहर पुलिया के पास से साहिल पासवान पुत्र अच्छेलाल पासवान निवासी मदीना थाना घोसी जनपद मऊ तथा अभिषेक मौर्या पुत्र अरविंद मौर्या निवासी जमालपुर मिर्जापुर थाना घोसी जनपद मऊ दोनों के कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक जिंदा कारतूस 12 बोर तथा एक अवैध तमंचा मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक संदिग्ध मोटरसाइकिल हिरोहोण्डा सीडी डिलक्स यूपी 54 एफ 4166 बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 84/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत मोटरवाहन अधिनियम सीज किया गया।

गोवध निवारण के क्रम में एक पिकप वाहन में कूरतापूर्वक लदे तीन राशि गौवंश बरामद—

आज दिनांक 09.02.2021 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुगेंसर मोड़ के पास से विजय कुमार पुत्र शिवनाथ राम निवासी सरवा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से एक पिकप वाहन (यूपी 54 एटी 2915) में कूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु जा रहे एक अदद बछड़ा, एक अदद गाय, एक अदद बैल बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुकूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद पिकप वाहन का अन्तर्गत मोटरवाहन अधिनियम सीज किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 09.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 37/21 धारा 354घ,506 भदावि0 व 17/18 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त मूकेश पुत्र मनोज निवासी तरवाडीह उत्तरी थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा कस्बा कोपागंज के पास से मु0अ0सं0 44/21 धारा 279,337,338,427 भादवि0 में वांछित अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र रूपा राम निवासी कहिनौर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 17 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 09.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा जंगबहादुर, प्रमोद निवासीगण मलपुर लोहराई थाना हलधरपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गुड्डू यादव, श्रीनाथ निवासीगण ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा

श्यामधार हरजन, सुरेश निवासीगण दुबारी, पवन, राजकुमार, नामलोचन निवासीगण लठिया, सीताराम, अनिल, सुनील निवासीगण गांगेवीर थाना मधुबन, रविन्द्र सिंह निवासी भीमपुरा जनपद बलिया, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा अभिषेक उर्फ शेरू निवासी भातीखुर्द थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा विकाश कुमार निवासी पलिया थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा रामदरश यादव निवासी हरपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।